रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003-05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003-05



सी.जी.-डी.एल.-सा.-15072024-255433 CG-DL-W-15072024-255433

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 25] नई दिल्ली, जून 30,—जुलाई 6, 2024, शनिवार/ आषाढ 9—आषाढ 15, 1946 No. 25] NEW DELHI, JUNE 30,—JULY 6, 2024, SATURDAY/ ASHADHA 9—ASHADHA 15, 1946

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके

इस भाग म भिन्न पृष्ठ संख्या दा जाता ह जिसस कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सक Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2024

सा.का.नि. 91.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभः- (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक) भर्ती नियम, 2024 है।

3719 GI/2024 (6**4**9)

650

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

- (ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अर्हताएं, आदि:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति -
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है.

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि केंद्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी भी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन पद या अचयन पद।
			स्तर।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक)	01* (2024) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-13 (रु. 123100- 215900)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए	सीधे भर्ती किए जाने	सीधे भर्ती किए जाने वाले	परिवीक्षा	भर्ती की पद्धति, सीधे भर्ती
जाने वाले व्यक्तियों	वाले व्यक्तियों के लिए	व्यक्तियों के लिए विहित	की अवधि,	द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या
के लिए आयु-सीमा।	अपेक्षित शैक्षिक और	आयु और शैक्षिक अर्हताएं	यदि कोई	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा
-	अन्य अर्हताएं।	प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	हो।	तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा
		लागू होंगी या नहीं।		भरी जाने वाली रिक्तियों की
				प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति, जिसके अंतर्गत
			होता।	अल्पकालिक संविदा या
				प्रोन्नति भी है।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा है।): -	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श
केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य-क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या केंद्रीय सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अधीन अधिकारी जो:-		आवश्यक है।
(क) (i) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किया हो; या		
(ii) जिन्होंने मूल केडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 (रु. 78800-209200) में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(iii) जिन्होंने मूल केडर या विभाग में समतुल्य पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-11(रु. 67700-		
208700) में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो; और		
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों :-		
आवश्यकः		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या संचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी अनुसंधान और विकास संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान विकास या इलेक्ट्रॉनिक संचार उपस्कर या उपकरणों से संबंधित कार्यों का दस वर्ष का अनुभव।		
या		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या संचार इंजीनियरी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भौतिकी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री के साथ केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सरकारी अनुसंधान या विकास संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या अनुसंधान संस्थाओं में अनुसंधान विकास या इलेक्ट्रॉनिक संचार उपस्कर या उपकरणों से संबंधित कार्यों में बारह वर्ष का अनुभव।		
वांछनीय:-		
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरी या संचार इंजीनियरी में पीएचडी।		
प्रोन्नति:		
टिप्पणी 1 विभागीय वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (इलेक्ट्रॉनिक्) जिन्होंने स्तर - 11 (रु.67700-208700) ग्रेड में दस वर्ष की नियमित सेवा की है और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षणिक योग्यता और अनुभव रखते हैं, को बाहरी आवेदकों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी		
पद पर नियुक्ति हेतु चयनित होता है; इसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा।		

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)

टिप्प्णी 2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त की अवधि है, साधारणतया पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।	
टिप्प्णी 3 प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

[फा. सं. 23011/96/2022-बीपीआरएंडडी]

डब्ल्यू. हिटलर, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 27th June, 2024

- **G.S.R. 91.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Principal Scientific Officer (Electronics) in the Bureau of Police Research and Development, Ministry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development, Principal Scientific Officer (Electronics), Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification and level in pay matrix. The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualifications. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules, with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay level in pay matrix	Whether Selection post or Non-selection
				post.
(1)	(2)	(3)	;4द्ध	(5)
Principal Scientific	1* (2024)	General Central	Level-13 (Rs.	Not applicable.
Officer (Electronics)		Service	123100-	
	*Subject to variation	Group 'A',	215900).	
	dependent on	Gazetted,		
	workload.	Non-Ministerial		

File No. W-17016/11/2022-SCD-VI (Computer No. 52636)

603707/2024/SCD-VI

[भाग II—खण्ड 3(i)]

[भाग II—खण्ड 3(i)]	भारत का	राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आष	ाढ 15, 1946	653
Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation including short-term contract or promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition. (12)	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment. (13)
Deputation (including short-term contract): Officers under the Central or State government or union territories or universities or recognised research institutions or autonomous organisations under the Central government or public sector undertakings:- (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in the pay level 12 (Rs.	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.
78800-209200) in the parent cadre or department; or (iii) with ten years regular service in the pay level 11 (Rs. 67700-208700) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:		
Essential: Masters degree in Electronics Engineering or Communication Engineering or Electronics and Communication from a recognised university or institute with ten years' experience in research development or in dealing with electronic communication equipment or instruments in the Central Government or State Government or Union territory administration or government research and development organisations or public sector undertakings or autonomous or statutory bodies or recognised universities or research institutions; or		
Bachelors degree in Electronics Engineering or Communication Engineering or Electronics and Communication Engineering or Master of Science degree in Physics with Electronics or Electronics from a recognised university with twelve years' experience in research development or in dealing with electronic communication equipment or instruments in the Central Government or State Government or Union territory		

654

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)

administration or government research and development organisations or public sector undertakings or autonomous or statutory bodies or recognised universities or research institutions.

Desirable:

Ph.D in Electronics and Communication or Electronics Engineering or Communication Engineering from a recognised university.

Promotion:

- **Note 1.-** The departmental Senior Scientific Officer (Electronics) in Level-11 (Rs. 67700-208700) with ten years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis is considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled by promotion.
- **Note 2.-** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
- **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

[F. No. 23011/96/2022-BPR&D]

W. HITLER, Under Secy. (BPR&D)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

- सा. का. नि. 92.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, ज्येष्ठ तकनीशियन भर्ती नियमावली, 1987 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, में ज्येष्ठ तकनीशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के अधीन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, में ज्येष्ठ तकनीशियन, समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हता, आदि भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

655

4. निरर्हता – वह व्यक्ति –

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडें वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पदका नाम।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ तकनीशियन।	02* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 6 (35400 – 112400/- रू.)।	चयन ।	लागू नहीं होता।

656

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	_	अवधि, यदि कोई	भर्ती की पध्दिति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पध्दितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	दो वर्ष।	प्रोन्नति जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसमे अल्पकालिक संविदा भी है।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: ऐसे किनष्ठ तकनीशियन जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200 – 92300 रू.) में उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ या मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान या संगठन से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कम से कम दो सप्ताह का उन्नत स्तर का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति : (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- 1. संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय	लागू नहीं होता ।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

657

टिप्पण 1: जहां ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबिक उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों सिहत जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले की पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अविध सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान अथवा स्वायत्त या कानूनी संगठन के अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारी:-

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200 – 92300 रू.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष की सेवा की हो ; और
- (ख) जिनके पास मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थानों से यांत्रिक या दूरसंचार या इलेक्ट्रिकल या ध्विन इंजीनियरी में डिप्लोमा हो। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अविध, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविध है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनयुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

- प्रशासन अकादमी, मसुरी - अध्यक्ष
- 2. उप निदेशक (प्रशासन), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसुरी - सदस्य
- उप निदेशक
 (आई/सी), लाल
 बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
 प्रशासन अकादमी,
 मसूरी सदस्य

समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे

- संयुक्त निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी - अध्यक्ष
- उप निदेशक
 (प्रशासन), लाल
 बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
 प्रशासन अकादमी,
 मसूरी सदस्य
- 3. उप निदेशक
 (आई/सी), लाल
 बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय
 प्रशासन अकादमी,
 मसुरी सदस्य

[फा. सं. - 21011/2/2023-अका.डेस्क]

देशराज यादव, अवर सचिव

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 26th June, 2024

- **G.S.R. 92.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Senior Technician Recruitment Rules, 1987, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Technician in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie, Senior Technician, Group 'B' post Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the post, its classification and level in pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc.** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. Disqualification.- No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, Shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit, and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard

SCHEDULE

Name of Post.	Number of post.	Classification .	Level in pay Matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case
							of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Senior	02* (2024)	General	Level - 6	Selection	Not	Not	Not applicable.
Technician	*Subject to	Central	(Rs.		applicable.	applicable.	
	variation	Service	35400 -				
	dependent	Group 'B'	112400).				
	on	Non –					
	workload.	Gazetted					
		Non –					
		Ministerial.					

[भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

659

	1			1
Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exits, what is its Composition.	Circumstan ces in which Union Public Service Commissio n is to be consulted in making recruitment .
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two years.	Promotion failing which by deputation including short-term contract.	Promotion: Junior Technician in the level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix with six years regular service in the grade and have successfully completed at least two weeks of Advance Level Training in the field of Electronics and Communication from National Institute of Technical Teachers Training and Research, Chandigarh or any other Institute or organization accredited by the Ministry of Human Resource Development or University Grants Commission. Note1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation including short-term contract: Officers of the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or Universities or recognized Research Institutions or Autonomous or Statutory Organisations:- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie — Member; 3. Deputy Director (I/C), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration Mussoorie — Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Director, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Chairperson; 2. Deputy Director (Administration), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Member; 3. Deputy Director (I/C), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Member; 3. Deputy Director (I/C), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Member; 3. Deputy Director (I/C), Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie — Member.	Not applicable.

660 THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946 [PART II—Sec. 3(i

Possessing a Diploma in Mechanical or Telecommunication or Electrical or sound Engineering from the recognized University or Institutes. Note 1: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

[F. No. T-21011/2/2023-Acad. Desk] DESRAJ YADAV, Under Secy.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

(राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग)

नई दिल्ली, 28 जून, 2024

सा. का. नि.93. — राष्ट्रपति एतद्वारा संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृंदके पद पर भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) इस नियम का संक्षिप्त नामसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, बहुकार्य कर्मचारिवृंद(समूह 'ग'पद) भर्ती नियम, 2023 है।
 - (2) यह नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में इनके स्तर का निर्धारण इस नियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ(2) से (4) के अनुसार होगा।

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

661

- 3. भर्ती की प्रक्रिया, आयु-सीमा, अर्हता आदि-उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हता तथा उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ(5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता कोई भी व्यक्ति,-
 - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति अथवा पत्नी जीवित है: अथवा
 - (ख) जिसने पति अथवा पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है अथवा विवाह का अनुबंध किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकारका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुजेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह इस नियम के प्रर्वतन से छूट दे सकेगा।

- 5. प्रारंभिक गठन:- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में बहुकार्य कर्मचारिवृंद, इन नियमों के अधीन बहुकार्य कर्मचारिवृंद का पद धारण करने वाले व्यक्ति को वरिष्ठता तथा पदोन्नति आदि के प्रयोजनार्थ नियमित सेवा के रूप में माना जाएगा तथा ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता को अखिल भारतीय आधार पर बनाए रखा जाएगा और इस संबंध में, समय-समय पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी वरिष्ठता संबंधी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया जाएगा।
- 6. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति इननियमोंकी कोई बात, ऐसे आरक्षण/आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन-मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा
नाम				अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहुकार्य	62* (2023)	साधारण केंद्रीय	वेतन – मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता
कर्मचारिवृंद		सेवा,समूह-'ग',	स्तर-1	
	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन		(18000-	
	किया जा सकता है	अननुसचिवीय	56900रू.)	

सीधी भर्ती हेतु आयु-सीमा	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं अपेक्षित		कोई हो
	अन्य अर्हताएं	हेतु निर्धारित आयु एवं	
		शैक्षणिक अर्हताएं लागू	
		होंगी	

662

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

उत्तीर्ण द्वारा निर्धारित रूप	(6)	(7)	(8)	(9)
के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष तक की आयु की छूट)	18 और 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिए चालीस वर्ष तक की आयु की छूट) टिप्पणी आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,हिमाचल प्रदेश केलाहौलऔर स्पीति जिलेएवं चंबा जिले के पांगी उप-मंडल और लद्दाख, अंदमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीपसंघ राज्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित की गई	किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण		दो वर्ष टिप्पणी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित रूप में सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने के पश्चात न्यूनतम दो सप्ताह की अवधि का एक आज्ञापक प्रवेश प्रशिक्षण

भर्ती की प्रक्रिया	प्रोन्नतिद्वारा अथवा	यदि विभागीय प्रोन्नति	परिस्थितियां जिसमें भर्ती करते समय संघ लोक
सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति/आमेलन	समिति विद्यमान है तो इसके	सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
अथवा	द्वारा भर्ती के मामले	स्वरूप क्या हैं।	
प्रोन्नतिद्वारा	में ग्रेड जिससेप्रोन्नति		
अथवा	द्वारा		
प्रतिनियुक्ति/	अथवा		
आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति/		
तथा विभिन्न	आमेलनकिया		
प्रक्रियाओं द्वारा भरी	जाएगा।		
जाने वाली			
रिक्तियों का			
प्रतिशत।			
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	समूह 'ग'	लागू नहीं
		विभागीय पुष्टिकरण समिति	
		(पुष्टिकरण पर विचार करने	
		हेतु) जो निम्नलिखित से मिलकर	
		बनेगी:-	
		1. उपसचिव अथवा निदेशक,	
		राष्ट्रीय अनुसूचित जाति	
		आयोग –अध्यक्ष;	
		-1. 1. 1	

[भाग II—खण्ड 3(i)]	24/आषाढ 15, 1946 663	
	3. अवर सचिव, सामारि न्याय और अधिकारिता	सदस्य;

[फा. सं. 17016/11/2022-एससीडी-VI] सुभेन्दु दास, अवर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

(NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES)

New Delhi, the 28th June, 2024

- G.S.R. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso of article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:-
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Social Justice and Empowerment, National Commission for Scheduled Castes, Multi-Tasking Staff (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person,-
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living: or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Initial constitution. Multi-Tasking Staff in the National Commission for Scheduled Castes, Ministry of Social Justice and Empowerment, A person holding the post of Multi-Tasking Staff under these rules shall be taken into account as regular service for the purpose of seniority and promotion, etc. and the seniority of such officers shall be maintained on all India basis and shall be fixed as per orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time in this regard.
- **6. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

File No. W-17016/11/2022-SCD-VI (Computer No. 52636)

603707/2024/SCD-VI

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

7. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post
1	1			or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi	62* (2023)	General	Level – 1 in the pay	Not applicable.
Tasking		Central	matrix	
Staff.	*Subject to variation dependent on	Service,	(Rs.18000-56900).	
	work	Group 'C',		
	load.	Non-Gazetted,		
		Non-		
		Ministerial.		

Age-limit	Educational and other	Whether	Period of
for direct recruits.	qualifications required	age and	probation, if any.
	for direct recruits.	educational	
		qualifications	
		prescribed for	
		direct recruits	
		will apply in the	
		case of	
		promotees.	(0)
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years of age.	10th class pass from a recognised Board.	Not applicable.	Two years. Note There shall be a
(Relaxable for the			mandatory induction
departmental			training of at least two
candidates up to			weeks duration for
the age of forty			successful completion
years in accordance			of probation as
with the instructions or			prescribed by the
orders issued by the			Central Government.
Central			
Government).			
Note The crucial date for determining the			
age-limit shall be the closing date for			
receipt of application from candidates and			
not the closing date prescribed for those in			
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh,			
Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura,			
Sikkim, Lahual and Spiti District and			
Pangi Sub-Division of Chamba District of			
Himachal Pradesh and the Union territories			
of Ladakh, Andaman and Nicobar Islands			
and Lakshadweep.			

Method of recruitment whether	In case of recruitment by promotion or by	If a Departmental Promotion Committee exists,	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making
by direct	deputation/	what is its	recruitment.

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

665

		,	
recruitme by promotio deputati absorption percentag the vacancie filled b variou method	on or by on/ from which promotion or deputation/ absorption to be made.	composition.	
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Deputy Secretary or Director, National Commission for Scheduled Castes – Chairperson; 2. Under Secretary, National Commission for Scheduled Castes - Member; 3. Under Secretary, Department of Social Justice and Empowerment- Member.	Not applicable.

[F. No.17016/11/2022-SCD-VI] SUBHENDU DAS, Under Secy.

मत्स्यपालन, पश्पालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 24 जून, 2024

सा. का. नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय मात्स्यिकी, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन, उप निदेशक भर्ती नियम, 2010 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, मत्स्यपालन विभाग के अधीन केंद्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), कोचीन, में उप निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

666

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)

- (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मत्स्य, नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान (सिफनेट), उप निदेशक (समूह 'क') भर्ती नियम, 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. निरर्हता- वह व्यक्ति-
 - (i) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ii) जिसने अपने पित या अपनी पित्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति –इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुबंध-ा

पद का	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में	चयन अथवा	सीधे भर्ती किए जाने वाले
नाम			स्तर।	अचयन पद।	व्यक्तियों के लिए आयु-
					सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप	2* (2024)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह क,	स्तर-11 (67,700-		लागू नहीं होता।
निदेशक	*कार्यभार के आधार पर	राजपत्रित, अननुसचिवीय।	2,08,700 रु/-)	होता।	
	परिवर्तन किया जा सकता				
	है।				

			भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या
	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	अवधि, यदि	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा
अपेक्षित शैक्षिक और	अर्हताएँ, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में	कोई हो।	विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली
अन्य अर्हताएं।	लागू होगी या नहीं।		रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत
		होता।	अल्पकालिक संविदा भी है)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।			
(11)			

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

667

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):

केन्द्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सैक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्ध सरकारी या कानूनी संगठनों या स्वायत्त निकायों के ऐसे अधिकारीः

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो है; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100 177500/- रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दिए गए ग्रेड में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो; और
 - (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:

आवश्यकः

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या समुद्री इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या इलैक्ट्रोनिक्स और संचार इंजीनियरी या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी या नौसैनिक वास्तुकला या नौचालन विज्ञान में डिग्री; या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राणि-विज्ञान या समुद्र विज्ञान या भौतिक विज्ञान या गणित या कंप्यूटर एप्लीकेशन या मात्स्यिकी विज्ञान या समुद्री जीव विज्ञान या मत्स्य उद्योग में मास्टर डिग्री; या

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई से मात्स्यिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; या

केन्द्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान, मुम्बई (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से मात्स्यिकी में सहयुक्त डिप्लोमा; या वाणिज्य पोत परिवहन (सक्षमता प्रमाणपत्र) नियम, 1987 के अधीन पोत परिवहन विभाग द्वारा जारी किसी विदेशगामी पोत के मास्टर के रूप में सक्षमता प्रमाण पत्र या मोटरशिप का प्रथम श्रेणी इंजीनियर; या

स्नातक सहित वाणिज्यिक समुद्री विभाग द्वारा मत्स्य जलयान के स्किपर ग्रेड-I के रूप में जारी सक्षमता प्रमाण पत्र; और

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था मत्स्य जलयान में उपरोक्त उपदर्शित किसी भी विषय या क्षेत्र में पांच साल का शिक्षण और प्रशिक्षण का अनुभव प्राप्त हो, साथ ही तट अधिकारी या प्रदर्शक के रूप में मत्स्य प्रशिक्षण जलयान पर व्यावहारिक प्रशिक्षण देने में कम से कम दो साल का अनुभव हो।

वांछनीयः

मात्स्यिकी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशासन या लेखा या भंडार का दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य काडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया
संरचना।	जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[फा.सं.3-70/2018-प्रशा.V]

कृष्ण पाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

New Delhi, the 24th June, 2024

19

668

THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946

[PART II—SEC. 3(i)]

- **G.S.R. 94.** In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Cochin, Deputy Director Recruitment Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Director in the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Kochi under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries, namely: -
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Central Institute of Fisheries, Nautical and Engineering Training, Deputy Director (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Number of post, classification and level in pay matrix.** The number of said post, its classifications and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualifications. No person, -
 - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reason to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Schedules Tribes, other Backward Classes, the ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non- selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Deputy Director.	2* (2024) * Subject to the variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non- Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700- 2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other	Whether age and educational	Period of	Method of recruitment, whether by direct
qualifications required	qualifications prescribed for	probation, if	recruitment or by promotion or by
for direct recruits.	direct recruits will apply in the	any.	deputation or absorption and percentage

File No. W-17016/11/2022-SCD-VI (Computer No. 52636)

603707/2024/SCD-VI

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

669

	case of promotes.		of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation (including short term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grade from which promotion or deputation / absorption to be made.

(11)

Deputation (including short term contract):

Officers of the Central or State Governments or Union territory Administrations or universities or public sector undertakings or recognized research institutions or Semi Government or Statutory organisations or autonomous bodies:

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
 - (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs.56100-177500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or Department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience:

Essential

(i) Degree in Mechanical Engineering or Marine Engineering or Electrical Engineering or Electronics and Communication Engineering or Automobile Engineering or Naval Architecture or Nautical science from a recognized University or Institute: or

Masters degree in Zoology or Oceanography or Physics or Mathematics or Computer Applications or Fishery Science or Marine Biology or Industrial Fisheries from a recognized University or Institute; or

Post Graduate Diploma in Fisheries Science of the Central institute of Fisheries Education, Mumbai; or

Associate Diploma in Fisheries of the Central Institute of Fisheries Education, Mumbai (Indian Council of Agricultural Research); or

Certificate of Competency as Master of a Foreign going ship or First Class Engineer of motorship issued by the Department of Shipping under the Merchant Shipping (Certificate of Competency) Rules, 1987; or

Certificate of Competency as Skipper Grade- I of Fishing Vessel issued by the Mercantile Marine Department, with graduation; and

(ii) possessing five years teaching and training experience in any of the subjects or fields indicated above in an institution recognized by the Central or State Government with at least two years experience in imparting practical training on board fishery training vessel as Shore officer or Demonstrator.

Desirable:

Two years experience in Administration or Accounts or Stores in the Fisheries training Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are on the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment by deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: The Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years.

Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of applications.

If a Departmental Promotion committee exists, what is	Circumstances in which Union Public Services
its composition.	Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)

File No. W-17016/11/2022-SCD-VI (Computer No. 52636)

603707/2024/SCD-VI

' 0	[PART II—SEC. 3(1)
i	

Not applicable. Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F.No.3-70/2018- Admn.V]

KRISHAN PAL, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जून, 2024

सा.का.नि. 95.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) भर्ती नियम, 2004 के उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्ण किया गया है या करने का लोप किया गया है, उप आयुक्त (आहार और चारा) पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, उप आयुक्त (आहार और चारा) समूह 'क' पद, भर्ती नियम 2024 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उसके वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अन्य अर्हतांए आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बाते वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता –** वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है: या विवाह की संविदा की है या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाद की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

- 5 शिथिल करने की शाक्ति जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6 व्यावृत्ति इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्ति के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का नाम पदों की संख्या वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन पद	सीधे भर्ती किए	सीधे	भर्ती किए
---------------------------------------	----------------	--------	----------------	------	-----------

[भाग II—खण्ड 3(i)

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

			में स्तर	या अचयन पद	जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप आयुक्त (आहार और चारा)	01* (2024) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	स्तर-12 (78800- रु.209200)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय पृष्टि समिति है तो उसकी संरचना।	वे परिस्थितियों जिसमें संघ लोक सेवा आयोग से भर्ती किए जाने में परामर्श किया जाना है।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति अल्प अवधि अनुबंध सहित)	प्रतिनियुक्तिः प्रोन्नति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या सांवधिक निकायों या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधिकारी (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर अनुरुप पदासीन या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; और (ख) निम्नलिखित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्याल या संस्थान से कृषि में डिग्री (ii) एग्रोनॉमी में स्नातकोत्तर डिग्री और	लागू होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं होता

THE GAZETTE OF INDIA : JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946 [PART II—SEC. 3(i)]

	(/3
(iii) केन्दीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या सांविधिक संगठनों या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के तहत चारा उत्पादन घासों और चारागाहों से जुड़े फॉर्म पर चारा कृषि के नियोजन और आयोजन में अनुसंधान विस्तार में दस वर्ष का अनुभव िटप्पण-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पअवधि अनुबंध सहित (प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित) जो अन्य संवर्ग बाह्य पद उसी या अन्य	
पर चारा कृषि के नियोजन और आयोजन में अनुसंधान विस्तार में दस वर्ष का अनुभव टिप्पण-1 प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पअवधि अनुबंध सहित	
अनुबंध सहित) से नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 से अधिक नहीं होनी चाहिए।	

[फा. सं.ए-12018/3/2017-प्रशासन-1]

विकास कुमार विक्रोसी, अवर सचिव

New Delhi, the 26th June, 2024

- **G.S.R 95.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Recruitment Rules, 2004, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Commissioner (Feed and Fodder), Department of Animal Husbandry and Dairying, Ninistry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, namely: -
- **1. Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Animal Husbandry and Dairying, Deputy Commissioner (Feed and Fodder) Group 'A' Post, Recruitment Rules, 2024.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix. The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

[भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र: जुलाई 6, 2024/आषाढ 15, 1946

673

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Savings. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of	Classification.	Level in pay	Whether	Age-limit for	Educational and
	post.		matrix.	selection post or	direct	other
				non-selection	recruits.	qualifications
				post.		required for
						direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy	1	General Central	Level-12	Not applicable.	Not	Not applicable.
Commissioner	*(2024)	Service, Group 'A',	(Rs.78800-		applicable.	
(Feed and Fodder).	subject to	Gazetted,	209200)			
	variation	Non-Ministerial.				
	dependent on					
	workload.					

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	Deputation (including short-term contract).	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory administrations or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes, - (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-11 (Rs.67700-208700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, - (i) Degree in Agriculture from a recognised University or institute;	Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

674	THE GAZETTE OF INDIA: JULY 6, 2024/ASHADHA, 15, 1946	[PART II—SEC. 3(i)]
674	(ii) Postgraduate degree in Agronomy; and (iii) ten years' experience in planning and organising fodder farming or research extension on a farm connected with fodder production, grasses and pastures under the Central Government or Union territory administrations or statutory organisations or autonomous bodies or public sector undertakings or recognised Universities or recognised research institutes. Note 1: The period of deputation (including short-term contract) (including period of deputation) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed	[PART II—SEC. 3(i)]
	fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	

[F. No. A-12018/3/2017-Admn.I]

VIKASH KUMAR VIKROSY, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA

Digitally signed by
GORAKHA NATH YADAVA

NATH YADAVA

Date: 2024.07.15 13:53:16

+0530